Guidelines for Prevention and Mitigation of Fire Disasters

(U/s 18(2)(d) of Disaster Management Act, 2005)

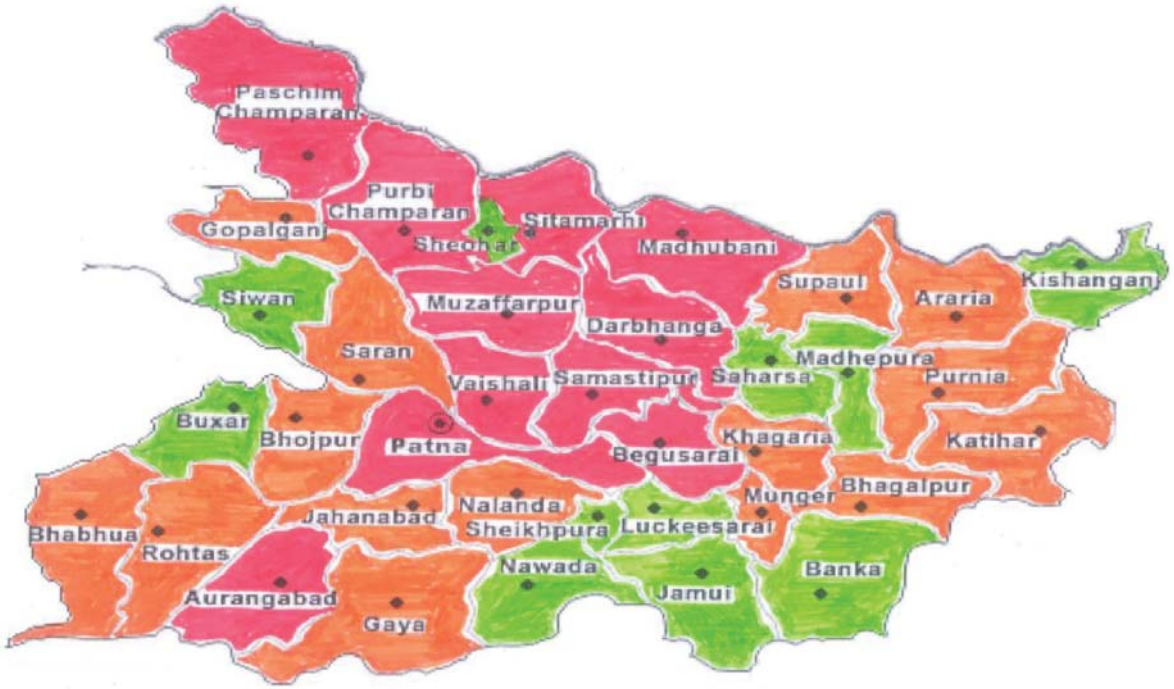

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18(2)(d) के आलोक में अगलगी की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी मार्गदर्शिका (Guideline)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001
दूरभाष सं0–0612–2522032
वेबसाईट– www.bsdma.org,
ई–मेल– info@bsdma.org

lans'k

eq[;ea=h
fcgkj

राज्य में मार्च से जून माह तक भीषण गर्मी पड़ती है। इन दिनों पछुआ हवा चलने के कारण गर्मी की तीव्रता काफी बढ़ जाती है। फलतः राज्य में अगलगी की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगती है। अगलगी के कारण न केवल घरों, खेतों, खलिहानों तथा खड़ी फसलों को नुकसान होता है अपितु बहुमूल्य मानव तथा पशु जिन्दगियाँ भी अग्नि की भेंट चढ़ जाती हैं। वर्ष 2016 में अगलगी के कारण 150 से भी अधिक लोगों की मृत्यु राज्य में हुई थी तथा पशुओं, घरों एवं फसलों को काफी नुकसान पहुँचा था। वर्ष 2017 में अगलगी के कारण 37 लोगों की मृत्यु हुई एवं 4757 घटनाएँ प्रतिवेदित हुई। बहुमंजिली इमारतों, व्यावसायिक भवनों, अस्पतालों एवं सरकारी भवनों में अगलगी की घटनाएँ प्रायः अग्नि सुरक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था एवं मानवीय लापरवाही के कारण घटित होती हैं। अगलगी होने पर त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'मानक संचालन प्रक्रिया' का गठन किया है। इसके फलस्वरूप अगलगी की घटना होने पर राहत एवं बचाव कार्य तुरत प्रारंभ कर दिये जाते हैं तथा प्रभावितों को तत्काल समुचित राहत मुहैया कराई जाती है।

अगलगी होने पर पीड़ितों को त्वरित राहत पहुँचाना आवश्यक होता है, पर मात्र राहत केन्द्रित होना ही आपदा प्रबंधन नहीं कहलाता। अगलगी की घटनाओं की रोकथाम एवं उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। यदि अगलगी की पूरी तरह से रोकथाम नहीं हो सके, तो भी उसके प्रतिकूल प्रभावों को अवश्य ही कम किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवं सरकार, सभी स्तरों पर हम सावधानी बरतें तथा समुदाय से लेकर सरकार के विभिन्न विभाग अग्नि आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगलगी प्राकृतिक आपदा होने के साथ–साथ मानव निर्मित आपदा भी है जिसे घटित होने से रोका जा सकता है। अतएव हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अग्नि आपदा की रोकथाम एवं इसके विपरीत प्रभावों को कम करने की दिशा में कारगर पहल करें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार अग्निशमन सेवा, सरकार के संबंधित विभागों, समुदाय एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से अगलगी की आपदा की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का सूत्रण किया है। मुझे आशा है कि हम सभी मिलकर इसके अनुसरण में राज्य में अगलगी जैसी घटनाओं को रोकने तथा उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की दिशा में प्रयासरत होंगे ताकि हम सुरक्षित बिहार का निर्माण करने में सफल हो सकें।

(नीतीश कुमार)
मुख्य मंत्री–सह–अध्यक्ष,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण

Hkfedk

बिहार राज्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के प्रति प्रवण है। इन आपदाओं में अगलगी से होने वाली दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली जान–माल की क्षति का प्रमुख स्थान है, जो एक चिन्ता का विषय है। अगलगी की घटनाएँ वर्ष के निश्चित समयन्तराल में अधिक होती है, लेकिन मानवीय लापरवाही के कारण ये कभी भी घटित हो सकती हैं। कतिपय सावधानियों से अगलगी की घटनाओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अगलगी की रोकथाम एवं शमन के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा एवं अन्य हितधारकों के साथ मिलकर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

अगलगी से हमारे घरों, खेत–खलिहानों एवं जान–माल की व्यापक क्षति होती है। इन अगलगी की घटनाओं से कृषि, जीविका तथा पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित होते हैं। राज्य के सभी 38 जिले अगलगी प्रवण हैं, परन्तु बिहार अग्निशमन सेवा ने राज्य के 12 ऐसे जिलों को चिन्हित किया है, जहाँ अगलगी की ज्यादा घटनाएँ गत वर्षों में घटित हुई है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18(2)(d) के आलोक में अगलगी की रोकथाम एवं शमन संबंधी मार्गदर्शिका का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से अगलगी की रोकथाम, न्यूनीकरण एवं अगलगी से निपटने हेतु तैयारियों के लिए बहुहितधारक सहभागिता (Multi Stakeholders' Participation) द्वारा मार्गदर्शिका का निर्माण किया गया है।

आशा है कि प्राधिकरण द्वारा अगलगी से सुरक्षा एवं बचाव के संबंध में तैयार मार्गदर्शिका से इस आपदा से जुड़े हितधारकों एवं समुदाय को अग्नि सुरक्षा में मदद मिलेगी और मार्गदर्शिका में बताए गये उपायों पर अमल करके अगलगी की दुर्घटनाओं में बहुत कमी लायी जा सकेगी।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

Hkfedk

बिहार में मार्च से जून के महीनों में भीषण गर्मी पड़ती है। गर्मी के इन महीनों में जब पछुआ हवा (Westerly wind) चलती है तो अगलगी की घटनाएँ काफी बढ़ जाती हैं। अगलगी से हमारे घरों, खेत–खलिहानों एवं जान–माल की व्यापक क्षति होती है। शहरों में प्रायः शार्ट सर्किट के कारण अगलगी की घटनाएँ होती हैं। पिछले कई वर्षों से अगलगी की घटनाएँ शहरों के बजाए, गॉवों में ज्यादा हो रही हैं। बिहार अग्निशमन सेवा ने राज्य के बारह जिलों, यथा, औरंगाबाद, गया, रोहतास, नालंदा, बेगूसराय, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना, पू0 चम्पारण, प0 चम्पारण तथा मधुबनी को अगलगी के दृष्टि से Hot spot जिले घोषित किया है। परन्तु राज्य के सभी 38 जिले अगलगी प्रवण (Fire prone) जिलों की कोटि में आते हैं। अगलगी प्राकृतिक आपदा होने के साथ–साथ मानव निर्मित (Man made) आपदा भी है। जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान विगत शताब्दी में $1^{o}c$ बढ़ने की सूचना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने वर्ष 2016 को शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष माना था। स्पष्टतः जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप आने वाले वर्षों में भी मार्च–जून माह (मॉनसून के आगमन पूर्व तक) में भीषण गर्मी की संभावना बनी रहेगी तथा गर्मी एवं पछुआ हवा मिलकर राज्य में अगलगी की आपदा उत्पन्न करते रहेंगे। राज्य में अगलगी की घटनाओं में कमी हो, अगलगी को रोकने/न्यूनीकरण एवं निपटने में हितधारकों की भूमिका सुनिश्चित हो तथा अगलगी होने पर हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित हो, इस दृष्टि से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार अग्निशमन सेवा एवं अन्य संबंधित विभागों तथा हितधारकों के सहयोग से सहभागी प्रक्रिया (Participation process) के माध्यम से गहन विचार–विमर्श कर इस मार्गदर्शिका का सूत्रण X;k है। यह मार्गदर्शिका अगलगी की रोकथाम/न्यूनीकरण में काफी सहायक होगी, ऐसी आशा है।

(व्यास जी)
उपाध्यक्ष
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

Hkfedk

राज्य में vxyxh की घटनाएं प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा है। वैसे तो अगलगी की घटनाएं कभी भी हो जाती है परंतु मॉनसून पूर्व पछुआ हवा के प्रकोप से राज्य प्रति वर्ष किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इन अगलगी की घटनाओं से जान–माल की क्षति के साथ–साथ कृषि, जीविका तथा पर्यावरण प्रभावित होते हैं।

अगलगी की घटनाएं शहरों एवं गांवों में समान रूप से नहीं होते हैं। शहरों में अगलगी मुख्यतः शार्ट सर्किट के कारण होता है जबकि गांवों में अगलगी की घटनाएं पछुआ हवा के प्रकोप से बढ़ते तापमान से होता है, जिसमें लोगों के द्वारा सावधानियों पर ध्यान न रखना शामिल है।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अगलगी की घटनाओं से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का गठन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अगलगी होने पर रिस्पांस काफी ढंग से किया जा रहा है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 18(2)d के आलोक में मार्गदर्शिका का होना आवश्यक है, जिससे अगलगी के जोखिम की पहचान हो सके, अगलगी की रोकथाम की जा सके, इसके कुप्रभावों को कम किया जा सके, हितधारकों का क्षमतावर्धन हो सके, अगलगी से निपटने की मुकम्मिल तैयारी की जा सके एवं अगलगी होने पर जान–माल की क्षति को कम किया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा मार्गदर्शिका का l=.k अच्छा प्रयास एवं पहलू है, जिस पर अमल कर राज्य में अगलगी की घटनाओं में कमी आएगी ।

(पी0 एन0 राय), भा0पु0से0 (से0नि0)
सदस्य,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

अग्नि आपदा की रोकथाम एवं शमन संबंधी मार्गदर्शिका

(Guidelines for Prevention and Mitigation of Fire Disasters)

पृष्ठभूमि

बिहार राज्य बहु आपदा प्रवण राज्य है। राज्य में घटित होने वाली बाढ़, सुखाड़, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त अगलगी ऐसी गंभीर आपदा है जिसके घटित होने पर न केवल सम्पत्ति नष्ट होती है, अपितु बहुमूल्य जानें भी जा रही हैं। राज्य में शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाएं ज्यादा होती हैं। परन्तु राज्य में शहरीकरण की तीव्र गति को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि शहरों में बनने वाली बहुमंजिली इमारतों, व्यावसायिक भवनों एवं सरकारी कार्यालयों आदि में निर्माण के समय से ही अग्नि सुरक्षा के उपायों पर ध्यान दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाएँ प्रमुखतः मार्च से मई महिनों के बीच होती हैं जब तापमान अधिक हो जाता है और पछुआ हवा बहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी का प्रकोप मुख्यतः कच्चे घरों तथा झोपड़ियों में रहने वाले लोगों एवं खेत–खलिहानों पर पड़ रहा है। जल स्त्रोतों यथा – पोखर, पईन आदि के अतिक्रमण अथवा सूखने के कारण आग से जान–माल की क्षति में वृद्धि हो रही है क्योंकि आग लगने पर उसे बुझाने हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता। अगलगी की घटनाओं से कृषि, जीविका एवं पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हाल के वर्षों में 2016 बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष रहा जब पिछले कई वर्षों की तुलना में अगलगी की अधिकतम घटनाएँ हुई जिसमें 150 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 2017 में अगलगी से 37 लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि राज्य के सभी 38 जिले अगलगी–प्रवण हैं, परन्तु बिहार अग्निशमन सेवा ने राज्य के चिन्हित जिलों (चित्र– 1) को अगलगी की दृष्टि से संवेदनशील जिले घोषित fd;s x, gSa tgk vxyxh dh ज्यादा घटनाएँ गत वर्षों में घटित हुई हैं।

बिहार में अगलगी प्रवण जिले

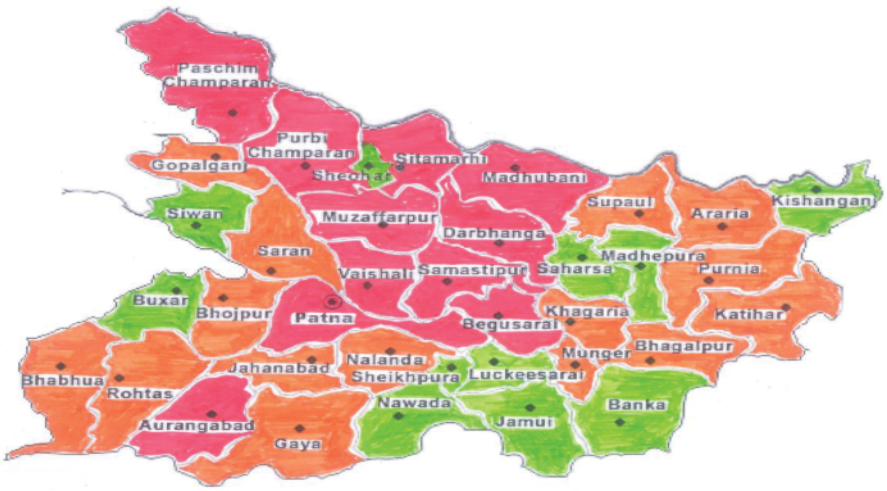

Red-High Hazards Dist.
Orange -Moderate Hazards Dist.
Green-Low Hazards Dist.

चित्र – 1 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

वर्ष 2011–2017 के बीच अगलगी पर रोकथाम एवं बचाव के आंकड़े निम्नवत हैं –

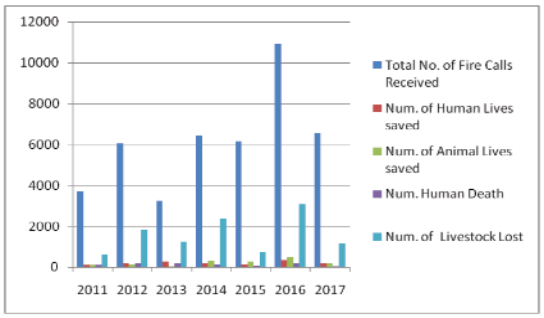

चित्र – 2 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

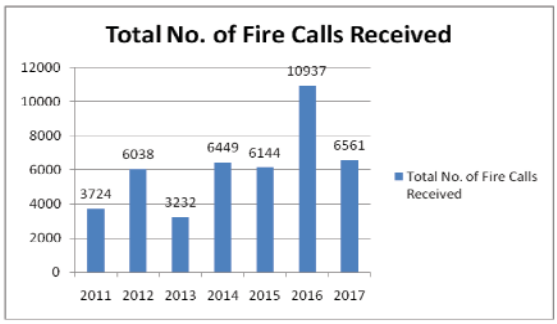

चित्र – 3 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

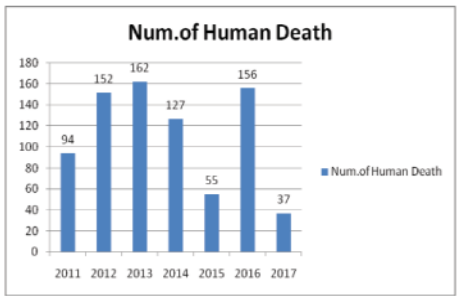

चित्र – 4 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

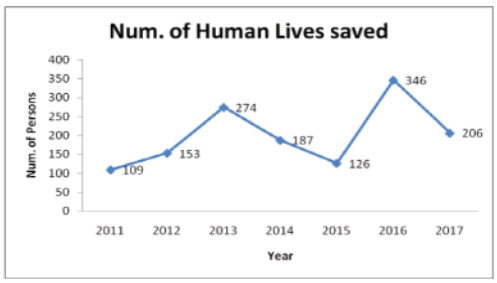

चित्र – 5 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

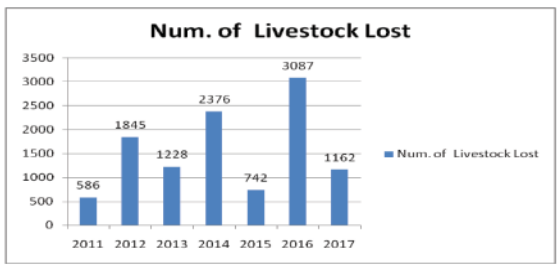

चित्र – 6 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

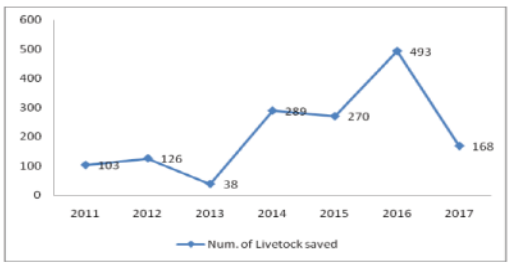

चित्र – 7 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

वर्ष 2011 से 2017 (चित्र–2, 3, 4, 5, 6 तथा 7) तक अगलगी घटनाओं की संख्या एवं उन घटनाओं में मृतक एवं पशुधन की क्षति का उल्लेख किया गया है। इन वर्षों में 2016 का वर्ष अगलगी की दृष्टि से सबसे खराब रहा है क्योंकि इस वर्ष अधिकतम घटनाएँ घटी हैं और उसी के अनुसार क्षति भी हुई है। वर्ष 2017 में घटनाएँ कम घटी और क्षति भी कम हुई । 2016 में 156 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जबकि 2017 में मात्र 37 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

वर्ष 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाओं का विश्लेषण चित्र– 8 में किया गया है। सबसे अधिक घटनाएँ कच्चे घरों एवं झोपड़ियों आदि में हो रही हैं। इन स्थानों पर आग लगने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। खलिहानों में रखी फसलों एवं खेतों में खड़ी फसलों की भारी क्षति अगलगी की घटनाओं में हो रही है। खलिहानों में अगलगी की कुल घटनाओं का लगभग 28 प्रतिशत घटनाएँ वर्ष 2017 में हुई थीं।

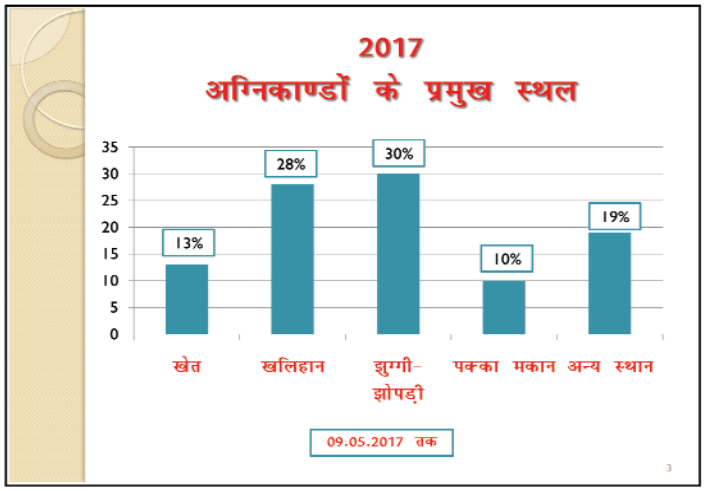

चित्र –8 स्त्रोत – बिहार अग्निशमन सेवा

केन्द्र सरकार ने अगलगी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है जिसके अंतर्गत प्रभावितों को राज्य आपदा रिस्पांस कोष के मानदण्ड के अनुसार वित्तीय सहायता अनुमान्य है। परंतु अगलगी मानव जनित आपदा भी है। थोड़ी सी लापरवाही से अगलगी की बड़ी घटना हो सकती है।

2. राज्य सरकार द्वारा अग्नि सुरक्षा हेतु कृत कार्रवाइयाँ :–

2.1 ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाओं की रोकथाम के लिए वृहद कार्य योजना अग्निशाम सेवा के द्वारा बनाकर सभी जिलों को प्रेषित की गई है। उसमें झोपड़ियों, खलिहानों, खड़ी फसलों एवं जानवरों की सुरक्षा के संबंध में किये जाने वाले प्रबंधों का उल्लेख है।

2.2 आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अगलगी से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ताकि अगलगी होने पर प्रभावी ढंग से रिस्पांस हो सके।

2.3 शहरी क्षेत्रों के भवनों की सुरक्षा के लिए भी अलग से कार्य योजना बनी है।

2.4 अस्पतालों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। बड़े अस्पतालों के लिए अग्नि सुरक्षा कार्ययोजना बनायी गयी है।

2.5 राज्य सरकार द्वारा अग्निशाम सेवा के आधुनिकीकरण की योजना स्वीकृत की गई है।

3. उद्देश्य एवं आशय :

राज्य में अगलगी की व्यापक घटनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 18(2)(d) के आलोक में मार्गदर्शिका का सूत्रण किया गया है, ताकि अगलगी के जोखिम की पहचान एवं आकलन हो सके, अगलगी की रोकथाम की जा सके, इसके कुप्रभावों को कम किया जा सके, हितधारकों का क्षमतावर्द्धन हो सके, अगलगी से निपटने की मुकम्मिल तैयारी की जा सके एवं अगलगी होने पर जान–माल की क्षति को कम किया जा सके। इस मार्गदर्शिका में विभिन्न हितधारकों की विशिष्ट भूमिका को दर्शाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि राज्य में अगलगी की घटनाओं में कमी करने हेतु सभी हितधारकों की एक निश्चित भूमिका हो, उनका क्षमतावर्द्धन किया जा सके तथा उनके कामों के बीच समन्वय स्थापित हो।

4. अगलगी के प्रमुख कारण :

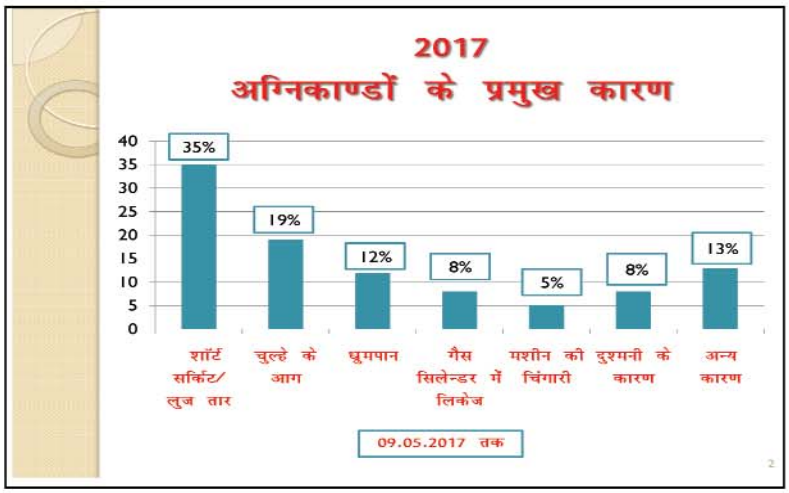

चित्र – 9 स्त्रोत –बिहार अग्निशमन सेवा

राज्य में अगलगी के प्रमुख कारण निम्नवत हैं (चित्र–9) :

- ✓ बिजली का शॉर्ट सर्किट होना।
- ✓ चूल्हे की आग को नहीं बुझाना।
- ✓ बीड़ी/सिगरेट पीने के बाद बिना बुझाए यत्र–तत्र फेंक देना।
- ✓ जिन घरों में गैस चूल्हे पर खाना बनता है, वहाँ खाना पकाने के बाद गैस सिलिंडर की गैस का बंद नहीं होना/लीक होना।
- ✓ बिजली के उपकरणों के उपयोग में असावधानी।
- ✓ बिजली के लूज तारों के (हवा चलने से) टकराने से उत्पन्न चिंगारी।
- ✓ घरों में ढिबरी के इस्तेमाल में लापरवाही।
- ✓ मवेशी घर में मच्छर भगाने हेतु धुआँ करने के लिए जलायी आग को बिना बुझाए ही छोड़ देना।
- ✓ फसल कटनी के बाद खेतों में छोड़े गए डंठलों में आग लगा देना।
- ✓ अवैध रूप से पटाखों का भंडारण एवं वितरण।
- ✓ पछुआ हवा चलते समय हवन आदि करते समय लापरवाही।
- ✓ भवनों (निजी, व्यावसायिक, सरकारी) में अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों का अभाव।

5. प्रमुख हितधारक :

अगलगी की रोकथाम/न्यूनीकरण प्रयासों के प्रमुख हितधारक निम्नलिखित हैं जिनके सहयोग से अगलगी जैसी घटना की रोकथाम/न्यूनीकरण किया जा सकता है :–

(i) बिहार अग्निशमन सेवा
(ii) आपदा प्रबंधन विभाग
(iii) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(iv) पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
(v) उर्जा विभाग
(vi) शिक्षा विभाग

(vii) स्वास्थ्य विभाग
(viii) कृषि विभाग
(ix) पशुपालन विभाग
(x) जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(xi) स्वयंसेवी संस्थाएं/नागरिक समाज

6. अगलगी रोकने के प्रयासों में कमियाँ:

अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण न हो पाने की प्रमुख कमियाँ निम्नलिखित हैं :–

- ✓ अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु संबंधित हितधारकों की सहभागिता पूर्ण कार्य योजना का न होना।
- ✓ अगलगी की घटनाओं की रोकथाम हेतु विभिन्न हितधारकों की क्षमता में कमी।
- ✓ अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण की जगह केवल रिस्पांस पर बल देना।
- ✓ अगलगी के आकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण में कमी।
- ✓ अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण में समुदाय की भागीदारी में कमी।
- ✓ अनुक्रिया की तैयारी में कमी।

7. हितधारकों की भूमिका : विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएँ निम्नानुसार हो सकती हैं :–

7.1 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- ✓ अगलगी की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारियों एवं रिस्पांस के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जन–जागरूकता एवं समय–समय पर एडवाइजरी जारी करना।
- ✓ अगलगी की घटनाओं का अध्ययन, प्रलेखन एवं विश्लेषण।
- ✓ पंचायतों/नगर निकायों, समुदाय एवं अन्य हितधारकों का अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु क्षमतावर्द्धन।
- ✓ अगलगी की रोकथाम/न्यूनीकरण के उपायों को लागू करने में सरकार के विभिन्न विभागों, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों एवं अन्य हितधारकों को अवश्यकता अनुसार तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- ✓ अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करना।

7.2 आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

- ✓ विभिन्न माध्यमों से अगलगी की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारियों एवं रिस्पांस आदि के संबंध में जन–जागरूकता एवं समय–समय पर एडवाइजरी जारी करना।
- ✓ अगलगी की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव सुनिश्चित कराना।
- ✓ जिला प्रशासनों को मार्गदर्शन एवं सरकार के विभिन्न विभागों के बीच अगलगी की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारियों एवं रिस्पांस के कार्यों का समन्वयन।

7.3 बिहार अग्निशमन सेवा, बिहार सरकार (गृह विभाग)

- ✓ अगलगी के संबंध में जन–जागरूकता एवं मॉकड्रिलों का आयोजन।
- ✓ अग्नि संबंधी नियमों/अधिनियमों का प्रवर्तन।
- ✓ अस्पतालों, सरकारी एवं निजी भवनों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का fire audit करना एवं अग्नि सुरक्षा प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करवाना।
- ✓ सभी सरकारी भवनों में fire detection/alarm/fighting की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।
- ✓ Hot spots की पहचान कर गर्मी के मौसम में fire tenders की pre-positioning।
- ✓ अग्निशमन कर्मियों के बचाव हेतु अग्निशामक किट की व्यवस्था।
- ✓ अगलगी के घटना स्थल तक शीघ्र पहुँचने के लिए Route chart तैयार करना।
- ✓ Fire zone area के समीप water tanks/पम्प सेट एवं अन्य जल–श्रोतों की मैपिंग।
- ✓ Hot-Spot Areas में उपलब्ध जलस्त्रोत का ब्योरा इक्ट्ठा कर उसका उपयोग करना।
- ✓ अग्निशमन दलों का क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण।
- ✓ अगलगी की घटना की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित रिस्पांस/फायर ऑफिसरों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- ✓ बिहार अग्निशमन सेवा का सुदृढ़ीकरण।
- ✓ विभागीय कार्य योजना का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

7.4 पंचायतें एवं स्थानीय नगर निकाय

- ✓ पंचायत एवं नगर निकायों के भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध पानी के स्त्रोतों की पहचान एवं आवश्यकतानुसार अगलगी में उनका उपयोग एवं आग बुझाने पहुँची दमकल की गाड़ियों को पानी उपलब्ध कराना।
- ✓ अपने क्षेत्राधिकार में अगलगी के जोखिम की पहचान और चिन्हित करना।
- ✓ अगलगी पर समुदाय का क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण।
- ✓ ग्राम सभा एवं वार्ड स्तर की बैठकों में पूर्व में अगलगी की घटनाओं के आधार पर उनके कारणों का सामाजिक अंकेक्षण करना।
- ✓ सामाजिक अंकेक्षण से उभरे अगलगी के कारणों को दृष्टिगत रख अगलग की रोकथाम के उपाय करने हेतु नागरिक समाज को अनुप्रेरित करना।
- ✓ स्थानीय सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों के साथ vxyxh रोकथाम /न्यूनीकरण हेतु समन्वय।
- ✓ सरपंच के स्तर से अगलगी की रोकथाम करने हेतु पंचायत के सभी व्यक्तियों को आम नोटिस जारी करना।
- ✓ अगलगी की रोकथाम, न्यूनीकरण एवं तैयारियों संबंधी पंचायत एवं नगर निकायों में हुए निर्णयों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण।

- ✓ अगलगी की रोकथाम, न्यूनीकरण एवं तैयारियों में राज्य सरकार, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन को समुचित सहयोग प्रदान करना।

7.5 उर्जा विभाग

- ✓ ट्रांसफार्मर्स की लोड क्षमता का आकलन तथा आवश्यकतानुसार वृद्धिकरण।
- ✓ विद्युत शार्ट सर्किट के मामलों के न्यूनीकरण एवं रोकथाम एवं हेतु जन–जागरूकता।
- ✓ बिजली संचरण में प्रयुक्त लूज तारों को ठीक करना ताकि उनकी रगड़ से अगलगी की स्थिति न उत्पन्न हो सके।
- ✓ बिजली के तारों एवं उपकरणों से लगने वाली अगलगी की रोकथाम के संबंध में जन जागरूकता।
- ✓ अवैध कनेक्शन, टोका आदि की रोकथाम ताकि उनके कारण होने वाली अगलगी की घटनाओं का न्यूनीकरण किया जा सके।

7.6 शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

- ✓ मुख्य मंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों को अगलगी की रोकथाम एवं बचाव हेतु जागरूक करना।
- ✓ स्कूली बच्चों के माध्यम से प्रभात फेरी एवं अन्य कार्यक्रमों द्वारा जागरूकता फैलाना।

7.7 स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

- ✓ अस्पतालों में बर्न वार्ड की व्यवस्था एवं अगलगी के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधियों, उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालों में 'आग से जलने पर क्या करें और क्या न करें' के प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना।
- ✓ अगलगी की बड़ी घटनाओं की सूचना प्राप्त होते ही घटना स्थल पर डाक्टर एवं दवा सहित एम्बुलेंस की व्यवस्था।
- ✓ सभी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु योजना का सूत्रण एवं अद्यतनीकरण, तैयारी, क्षमतावर्द्धन एवं रिस्पांस की व्यवस्था करना।
- ✓ अगलगी से प्रभावित व्यक्तियों की त्वरित चिकित्सीय सहायता।

7.8 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/पंचायती राज विभाग

- ✓ 'हर घर, नल जल' योजना के अंतर्गत आग बुझाने, विशेषकर वाटर टेण्डर को पानी उपलब्ध कराने, हेतु पानी के श्रोत का निर्माण।
- ✓ उपरोक्तानुसार निर्मित जल श्रोतों की सूची अग्निशमन सेवा के संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना।

7.9 लघु जल संसाधन विभाग विभाग

- ✓ सरकारी Tubewell के साथ बड़ा जलाशय बनाकर पानी bdVBk करेंगे, जिससे अगलगी के समय फॉयर टेण्डर को पानी की उपलब्धता आसानी से हो सके।

7.10 कृषि विभाग, बिहार सरकार

- ✓ खड़ी फसलों एवं खलिहानों को अगलगी से बचाव के लिए ''क्या करें–क्या न करें'' का प्रचार प्रसार एवं किसानों की जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन।

7.11 पशुपालन विभाग

- ✓ अगलगी से पशुओं के बचाव के लिए ''क्या करें–क्या न करें'' का प्रचार प्रसार एवं पशु–पालकों में जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन।
- ✓ अगलगी में प्रभावित पशुधन को त्वरित चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना।
- ✓ सभी पशु औषधालयों में अगलगी के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधियों उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

7.12 जिला प्रशासन एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- ✓ जिला स्तर पर अगलगी की रोकथाम जोखिम न्यूनीकरण एवं तैयारियों संबंधी कार्य–योजना का सूत्रण एवं कार्यान्वयन।
- ✓ जिले में अगलगी के सभी Hot Spots की पहचान कर अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु पूर्व तैयारी करना।
- ✓ अगलगी होने पर आपदा प्रबंधन विभाग के ''मानक संचालन प्रक्रिया'' के अनुसार त्वरित रिस्पांस।
- ✓ अगलगी पर समुदाय के क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

7.13 जिला पुलिस प्रशासन

- ✓ चौकीदारों/दफादारों का संवेदीकरण।
- ✓ अगलगी के घटना स्थल पर यथा आवश्यक कानून–व्यवस्था बनाए रखना एवं अग्निशमन दल को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

7.14 स्वयं सेवी संस्थाएँ/सिविल सोसायटी/सामाजिक कार्यकर्त्ता/जन प्रतिनिधि

- ✓ अगलगी की रोकथाम एवं बचाव पर जन–जागरूकता हेतु लोगों के बीच प्रचार–प्रसार एवं मार्गदर्शन।
- ✓ अगलगी एवं बचाव उपायों पर अमल।
- ✓ जलस्त्रोतों/पम्पिंग सेट/बोरिंग को तैयार हालत में रखने हेतु समुदाय को प्रेरित करना ताकि अगलगी होने पर पानी की व्यवस्था आसानी से हो सके।

- ✓ गाँव स्तर पर अगलगी पर social audit में पंचायतों की मद्द करना ताकि अगलगी के कारणों का पता चल सके।
- ✓ पंचायत में उपलब्ध संचार माध्यमों/मंदिरों/मस्जिदों आदि का अगलगी पर जन–जागरूकता हेतु उपयोग करना एवं सभी का सहयोग प्राप्त करना।
- ✓ जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्यक्रम करना।

8. निजी व्यावसायिक भवनों/बहुमंजिली इमारतों एवं सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्य योजना :

बिहार बिल्डिंग बायलाज के प्रावधानों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के प्लिंथ एरिया वाले अथवा 15 मीटर से ऊँचे भवनों के निर्माण पूर्व नक्शों की स्वीकृति हेतु अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इसी प्रकार उक्त भवनों के निर्माण के पश्चात् सक्षम प्राधिकार से Occupation Certificate प्राप्त करने के बाद ही भवनों का उपयोग किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकार के लिए यह अनिवार्य है कि Occupation Certificate निर्गत करने के पूर्व अग्निशमन सेवा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए।

निजी व्यावसायिक भवनों/बहुमंजिली इमारतों एवं सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के अनुसरण में विभिन्न विभागों के सहयोग से अलग कार्य योजना तैयार की गयी है। उक्त कार्य योजना अनुलग्नक पर संलग्न है।

9. मार्गदर्शिका एवं कार्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा

अगलगी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण की मार्गदर्शिका में विभिन्न हितधारकों की भूमिका रेखांकित की गयी है। तद्नुसार विभिन्न हितधारकों के कार्यों की समीक्षा समय–समय पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठकों में की जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग इन बैठकों को आवश्यकतानुसार आयोजित कराएगा।

अनुलग्नक

बहुमंजिले एवं व्यावसायिक भवनों (निजी एवं सरकारी) अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्य योजना।

माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में दिनांक 26.05.2017 को बहुमंजिले एवं व्यावसायिक भवनों (सरकारी एवं निजी) एवं अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में कार्य योजना को अंतिम रूप देने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बिहार अग्निशाम सेवा द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से तैयार अग्नि सुरक्षा कार्य योजना पर विचार कर उसे निम्नानुसार अंतिम रूप दिया गया।

❍ सरकारी भवन : -

- **फायर इंजीनियरिंग -** अग्नि सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम फायर इंजीनियरिंग पर ध्यान देना होगा। यदि भवन सुरक्षित बनते हैं तो भविष्य सुरक्षित होगा। अतः वर्त्तमान में कार्यरत अभियंताओं एवं आर्किटेक्टों को फायर इंजीनियरिंग की जानकारी होना आवश्यक है।

- इसके लिए विभिन्न विभागों में क्षमतावृद्धि आवश्यक है। भवन निर्माण कार्य में संलग्न विभागों/इकाईयों, जैसे- भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग (BMICL) नगर विकास, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, शिक्षा विभाग (BEICL) इत्यादि में फायर इंजीनियरिंग सेल गठित किया होगा। सभी विभागों के लिए एक ही संवर्ग बनाया जायेगा, जिसका गठन एवं नियंत्रण अग्निशाम सेवा के द्वारा होगा। अग्निशाम सेवा से वे संबंधित विभाग/इकाई में प्रतिनियुक्त होंगे। तत्काल कार्य करने हेतु देश में उपलब्ध कंसल्टेंट को संविदा पर लिया जाए।

- नागरिकों एवं निर्माणकर्त्ता को भवन निर्माण के समय अग्नि सुरक्षा पर तकनीकी परामर्श एवं मार्गदर्शन देने हेतु शहरी स्थानीय निकायों में **'फायर इंजीनियर्स सेल'** गठित करना।

- भविष्य में बनने वाले सभी सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रावधान मूल प्राक्कलन का हिस्सा होंगे।

(कार्रवाई : भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मानव संसाधन विभाग, गृह विभाग)

- उर्जा विभाग ऑडिट/ स्वीकृति देने/ अनुशंसा करने वाले एजेंसियों में एनर्जी इंजीनियर का होना नितांत आवश्यक है, जिससे कि किसी भवन की योजना बनाने के समय से ही बिजली की आवश्यकता के अनुसार ही विद्युत उपकरणों की व्यवस्था हो।

- नगर निगम एवं अन्य संस्थाएं, जहां से निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत होता है, मे एनर्जी इंजीनियर के प्रावधान किया जाना। ऐसे कर्मी को प्रशिक्षण एवं सर्टिफिकेशन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(कार्रवाई : उर्जा विभाग, नगर विकास विभाग)

- कार्यालय कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से जागरूक करने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

- **भवनों की सुरक्षा ऑडिट :-** प्रमुख भवनों का ऑडिट अग्निशाम सेवा के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है। ऑडिट सर्वप्रथम पटना स्थित सचिवालय के सभी भवन, अन्य महत्वपूर्ण भवन, अस्पताल का होगा।

- शेष भवनों का ऑडिट कन्सलटेंट के द्वारा कराया जायेगा। बिहार अग्निशाम से अधिनियम 20147 के अध्याय 6 की धारा 32 में अग्नि कनसलटेंट को पंजीकृत करने का प्रावधान है।
- वर्त्तमान में भवन उपविधि (बिहार बिल्डिंग बाईलॉज)-16 (VII) के अनुसार पांच वर्ष में ऑडिट करने का प्रावधान है। बैठक में इसे दो वर्ष में ही करने का निर्णय हुआ।
- ऑडिट के आधार पर ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जायेगा।

(कार्रवाई : भवन निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग)

- फायर इंजीनियरिंग एवं प्रिवेन्टिव फायर मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से नगर विकास के विभिन्न ईकाइयों एवं अग्निशाम सेवा द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं उसका नवीनीकरण की कार्रवाई ऑनलाईन की जायेगी जैसा देश के अन्य स्थानों में हो रहा है। इससे पारदर्शिता तो आयेगी, नेशनल बिल्डिंग कोड एवं भवन भवन उपविधि के प्रावधानों की जांच का कार्य और बेहतर होगा। इससे रीयल टाईम ट्रैकिंग हो पायेगी और यह सत्यापित हो पायेगा कि जिन भवनों को अनापत्ति निर्गत है उनका नवीनीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ अथना नहीं। तत्संबंधी संशोधन बिहार अग्निशाम एक्ट 2014 एवं नियमावली में भी करने की आवश्यकता होगी।

(कार्रवाई : नगर विकास विभाग)

❍ **अग्निशाम सेवा की क्षमतावृद्धि –** वर्त्तमान में फायर इंजीनियरिंग, प्रिवेन्टिव फायर मैंनेजमेंट कार्यों के लिए कोई भी सक्षम तकनीकी कर्मी नहीं है। राज्य मुख्यालय एवं कम-से-कम प्रमंडलीय जिलों के कार्यालयों में इस प्रकार के विशेषज्ञ टीम का गठन होगा।

- राज्य में विकास तेजी से हो रहा है। शहरों का विकास हो रहा है, नये शहर बन रहे है। इसलिए ऐसे स्थानों पर भी अभी से ही फायर स्टेशन खोलने की आवश्यकता होगी, ताकि शुरूआति दौर में ही प्रिवेन्टिव फायर मैनेजमेंट हो पाये।

(कार्रवाई : अग्निशाम सेवा, गृह विभाग)

- **अस्पतालों की सुरक्षा का विशेष प्रबंध :** सर्वप्रथम 9 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं विशेषज्ञ अस्पतालों में इस व्यवस्था को करने का निर्णय हुआ।
- सर्वप्रथम इन अस्पतालों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट विस्तार से कर उसके आधार पर सुरक्षा व्यवस्था करना। आपातकाल में किसी भी फायर स्टेशन को यातायात समस्या के कारण स्थल पर पहुंचने में आधा घंटा तक समय लग सकता है। ऐसे अस्पतालों में अग्निशाम सेवा स्थापित करना। ऐसी नियुक्तियां फायर डिपार्टमेंट द्वारा ही की जाए तथा उनका पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण अग्निशाम विभाग का रहेगा। इन अस्पतालों में 24X7 फायर टेंडर, हाईड्रेन्ट तथा फायर कर्मी उपलब्ध रहें।
- अस्पतालों में फायर टेंडर, हाईड्रेन्ट, फायर कर्मी, उपकरणों आदि को आउटसार्सिंग से प्राप्त करने पर भी विचार करना होगा।

(कार्रवाई : स्वास्थ्य विभाग एवं अग्निशाम सेवा)

❍ **व्यवसायिक एवं निजी भवनों की सुरक्षा**

- निजी भवन निर्माणकर्त्ता को अग्नि सुरक्षा हेतु अपने प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रीक इंजीनियर, फायर इंजीनियर की सेवा लेनी होगी। भवन उपविधि में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होगी।
- निर्माण कार्य में कार्यरत अभियंताओं, वास्तुविदों, निर्माणकर्त्ताओं के बीच नेशनल बिल्डिंग कोड, बिहार भवन उपविधि के प्रावधानों की जागरूकता करने की आवश्यकता है। इनके बीच फायर इंजीनियरिंग के संबंध में क्षमतावृद्धि भी आवश्यक है।
- नागरिक, जो आवासीय भवन में रहते है या व्यवसायिक भवन में कार्य करते है, के बीच भी सुरक्षा की जागरूकता आवश्यक है।

- **भवनों के प्रबंधन का दायित्व –** भवनों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन (निर्माणकर्त्ता द्वारा प्रभारित) को जागरूक एवं जिम्मेदार बनाने पर भी विमर्श हुआ। बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 में प्रावधानित है कि प्रबंधन भवन के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है, परंतु यह कार्य नहीं हो रहा है। अग्नि सुरक्षा पर दण्डात्मक कार्रवाई आवश्यक है, अतः भवन उपविधि में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

- **भवन उपविधि –** (IV) में Occupancy Certificate का प्रावधान है, परंतु वर्त्तमान में निर्माण पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा रहा है, Occupancy प्रमाण-पत्र नहीं लिया जा रहा है। इससे निश्चिम नहीं हो पाता है कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रावधानों का पालन हुआ कि नहीं। Occupancy Certificate के प्रावधानों को कठोरता से पालन कराना। निर्णय लिया गया कि आवसीय/व्यावसायिक भवनों में तब तक निबंधन नहीं किया जायेगा, जब तक निर्माणकर्त्ता ने Occupancy Certificate प्राप्त नहीं किया है। यह कार्य पंजीकृत फायर इंजीनियर/ कन्सलटेंट के अनुशंसा पर ही होगा।

- **भवनों का सुरक्षा ऑडिट –** पूर्व से बने भवनों एवं भविष्य में बनने वाले भवनों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट निर्धारित समय पर किया जाना आवश्यक है। इसलिए इन भवनों में ऑडिट, पंजीकृत कन्सलटेंट के माध्यम से कराने की आवश्यकता है। ऐसे कन्सलटेंट का पंजीकरण अग्निशाम सेवा के द्वारा होगा। पंजीकृत कन्सलटेंट के माध्यम से भवन मालिक/प्रबंधन ऑडिट कराकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करायेंगे।

  - व्यवसायिक भवनों के लिए 03 साल एवं आवासीय भवनों के लिए 05 साल की अवधि निर्धारित की गयी। नवीनीकरण के लिए उर्जा कन्सलटेंट, मॉकड्रिल तथा ए.एम.सी. भी अनिवार्य होगा।
  - कन्सलटेंट के माध्यम से समर्पित प्रस्तावों में से कम से कम 03 प्रतिशत की जांच अग्निशाम सेवा के द्वारा की जायेगी।
  - देश के अन्य स्थानों की भांति एक और चरण पर सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चिम करने का प्रस्ताव है- प्रत्येक वर्ष प्रबंधन के द्वारा स्वप्रमाणित प्रतिवेदन लेकर। इससे भी प्रबंधन की जिम्मेदारी निर्धारित होगी।

(कार्रवाई-नगर विकास विभाग, अग्निशाम सेवा)

- **उर्जा संबंधी सुरक्षा-** शहरी क्षेत्रों में चूंकि अधिकांशतः घटनाएं अधिक लोड, सब-स्टैन्डर्ड उपकरण एवं तारों के कारण होती है, इसलिए निर्णय लिया गया कि उर्जा विभाग के द्वारा Empanelled बिजली अभियंताओं के माध्यम से ऑडिट कराया जायेगा और सभी संबंधित के बीच उचित गुणवत्ता का उपकरण लगाने का प्रचार-प्रसार होगा।

- **अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति** - अग्निशाम सेवा अधिनियम 2014, (धारा-29) में सिनेमा घरों, होटलों, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, अस्पताल/नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। इसे लागू कराना।

(कार्रवाईः नगर विकास विभाग, अग्निशाम सेवा)

- **पेट्रोल पम्पों एवं अन्य विस्फोटक भंडारण का नियंत्रण**

- घनी आबादी में अवस्थित पेट्रोल पम्प अथवा ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोलियम, एल.पी.जी. विस्फोटक पदार्थ के भंडारण को अन्यत्र लगाने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु संबंधित नियमों के अध्ययन और विधि विभाग से परामर्श के उपरांत कार्रवाई अपेक्षित होगी।

- नए पेट्रोल पम्प एल.पी.जी. गोदाम एवं अन्य ज्वलनशील सामग्री के भंडारण की स्वीकृत्ति, बिना सक्षम प्राधिकार के नहीं दिया जाय। इसलिए जिला प्रशासन को इस संबंध में संवेदनशील कराया जाना आवश्यक है।

(कार्रवाई : गृह विभाग)

- कार्य योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए श्री उदयकांत मिश्र, सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय हुआ। इस समिति के सदस्य होंगे : श्री पी.के. राय, माननीय मुख्यमंत्री के उर्जा सलाहकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार पटना/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार पटना/महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएं, बिहार, पटना (सदस्य सचिव)

मुख्य सचिव, बिहार